

न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

महोदय

बनाम

हतराम

मु. सं. 67/2022 (दावा)

16.10.23

आज पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रतिवादी सं० 1 की ओर से प्रार्थना पत्र क्रमांक आदेश 7 नियम 11 जा० दी० इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है कि यह दावा प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश किया है। वादी के उक्त दावा में प्रतिवादी सं० 2, 3 व 4 हैं जिनके करीब 3-4 वर्ष पूर्व ही मृत्यु हो चुकी है। उक्त प्रतिवादीगण को मृत्यु वादी द्वारा बादपत्र प्रस्तुत करने से पूर्व ही चुकी है इसलिए मृत्यु प्रतिवादीगण के खिलाफ वादी को किसी भी प्रकार का कांज डॉप्ल ऐक्शन प्राप्त नहीं होता है। मृत्यु के विरुद्ध दावा पेश करना कानूनी रूप से चलने योग्य नहीं है। इस प्रकार वादी का दावा इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा० दी० स्वीकार फरमाया जाकर दावा को मम हर्जि-छर्चा के खारिज करने के आदेश परमांत की रूपा करें। वादी की ओर से जबकि प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाकर सीधी बहस की गई।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिवाचकों की बहस सुनी जिसका मदन किया तथा पत्रावली

अलय उपजिला मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी, महवा

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज

महादवा

बनाम

हेलराम

मु. सं. 67/2022 (दावा)

नम्बर व तारीख
अहकाम इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

का हमान पूर्वक अवलोकन किया। दोनों पक्ष इस तर्क को स्वीकार करते हैं कि प्रतिवादी सं० २, ३ व ५ का देहात ही चुका है। प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए सम्पूर्ण वाद को अन्तर्गत आदेश ७ निम्न ॥ जा० डी० में खारिज करने की प्रार्थना की है। इस संबंध में हम कानूनी प्रावधानों का अवलोकन करते हैं तो पता है कि आदेश ७ निम्न ॥ जा० डी० के अन्तर्गत यदि किसी मृत व्यक्ति के विरुद्ध वाद प्रस्तुत किया जाता है तो मृतक प्रतिवादी के विरुद्ध वाद कारण उत्पन्न नहीं होता है। प्रतिवादी ने वाद को खारिज करने हेतु निवेदन किया है इसलिये दावा बादी नामंजूर किमे जान योग्य है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश ७ निम्न ॥ जा० डी० स्वीकार योग्य है। प्रार्थी। प्रतिवादी हेलराम का प्रार्थना पत्र आदेश ७ निम्न ॥ जा० डी० ऊपर विवेचन के आधार पर स्वीकार किया जाता है तथा दावा बादी खारिज किया जाता है। फाजली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश हुलाम गमा।

उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा